NEW ERA AGRICULTURE MAGAZINE

भारत की पारंपरिक हस्तकला वस्त्र कलाएँ: संरक्षण की आवश्यकता

वैशाली सिंह, रश्मी दुबे एवं साक्षी

भूमिका

भारत की पहचान सदियों से उसकी वस्त्र-परंपरा से जुड़ी रही है। कश्मीर की पश्मीना शॉल से लेकर तमिलनाडु की कांचीपुरम रेशमी साड़ी तक, गुजरात की पटोला से लेकर पंजाब की फुलकारी तक — प्रत्येक क्षेत्र की अपनी बुनाई, रंगाई और छपाई की विशिष्ट शैली है, जो वहाँ की संस्कृति, इतिहास और सामाजिक जीवन को प्रतिबिंबित करती है। ये हस्तकला वस्त्र केवल पहनावा नहीं, बल्कि पीढ़ी-दर-पीढ़ी हस्तांतरित होने वाला ज्ञान, कौशल और कलात्मक अभिव्यक्ति हैं। किंतु औद्योगीकरण, मशीनीकृत उत्पादन और फास्ट फैशन के इस दौर में यह अमूल्य विरासत लुप्त होने के कगार पर है, जिससे इसके संरक्षण की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है।

भारत की समृद्ध वस्त्र विरासत

भारत में सैकड़ों वर्षों से चली आ रही हस्तकला वस्त्र परंपराएँ हर राज्य की पहचान बन चुकी हैं। उत्तर प्रदेश की बनारसी जरी साड़ी, मध्य प्रदेश की चंदेरी एवं माहेश्वरी बुनाई, राजस्थान की बांधनी एवं लहरिया रंगाई, गुजरात की पाटन पटोला (दोहरी इकत), आंध्र प्रदेश-तेलंगाना की पोचमपल्ली इकत, पश्चिम बंगाल की जामदानी एवं बालूचरी, ओडिशा की संबलपुरी बुनाई, कश्मीर की पश्मीना एवं कानी शॉल, और पंजाब की फुलकारी कढ़ाई — इनमें से प्रत्येक शिल्प भौगोलिक संकेतक (GI Tag) के अंतर्गत संरक्षित हो चुका है। 2026 तक भारत में 650 से अधिक पंजीकृत जीआई टैग हैं, जिनमें एक बड़ा भाग वस्त्र एवं हस्तशिल्प उत्पादों का है, और सरकार का लक्ष्य 2030 तक इस संख्या को 10,000 तक बढ़ाना है।

वर्तमान स्थिति: आँकड़ों की दृष्टि से

चौथी अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना के अनुसार देश में लगभग 26.74 लाख हथकरघा बुनकर और 8.49 लाख संबद्ध श्रमिक कार्यरत हैं, जो लगभग 35.22 लाख परिवारों की आजीविका का आधार बनते हैं, और इनमें लगभग 72 प्रतिशत महिलाएँ हैं। कृषि के बाद हथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र देश में रोजगार का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है, जिससे लगभग 64.66 लाख कारीगर प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। यह आँकड़े इस क्षेत्र के आर्थिक महत्व को स्पष्ट करते हैं, परंतु साथ ही यह चिंता का विषय भी है कि विगत दशकों में परंपरागत बुनकर परिवारों की संख्या निरंतर घटती जा रही है।

संरक्षण की आवश्यकता क्यों?

- **सांस्कृतिक पहचान:** प्रत्येक पारंपरिक वस्त्र कला किसी समुदाय की सांस्कृतिक स्मृति और पहचान का प्रतीक है; इसका लुप्त होना उस समुदाय की सांस्कृतिक विरासत की अपूरणीय क्षति है।
- **आर्थिक आजीविका:** लाखों बुनकर परिवार, विशेषकर ग्रामीण एवं महिला कारीगर, प्रत्यक्ष रूप से इसी क्षेत्र पर निर्भर हैं।

वैशाली सिंह, रश्मी दुबे एवं साक्षी
वस्त्र एवं परिधान विज्ञान विभाग
सामुदायिक विज्ञान महाविद्यालय
चन्द्रशेखर आज़ाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर (उ.प्र.)

- **सतत विकास (Sustainability):** हस्तकला वस्त्र प्राकृतिक रेशों, न्यूनतम ऊर्जा खपत तथा हस्त-रंगाई पर आधारित होते हैं, जो औद्योगिक वस्त्रों की तुलना में पर्यावरण-अनुकूल हैं।
- **कौशल एवं ज्ञान-हस्तांतरण:** बुनाई, कढ़ाई और रंगाई की तकनीकें मौखिक एवं व्यावहारिक परंपरा से हस्तांतरित होती हैं; एक पीढ़ी के विमुख होते ही यह ज्ञान सदा के लिए खो सकता है।
- **वैश्विक पहचान एवं निर्यात संभावना:** भारतीय हस्तकला वस्त्र अंतरराष्ट्रीय बाजार में विशिष्ट पहचान रखते हैं, जो विदेशी मुद्रा अर्जन का महत्वपूर्ण स्रोत हैं।

मुख्य चुनौतियाँ

- पावरलूम एवं मशीन-निर्मित नकली उत्पादों से प्रतिस्पर्धा, जो सस्ते दामों पर हस्तकला की नकल बाजार में उतार देते हैं।
- युवा पीढ़ी का इस पेशे से पलायन, कम आय एवं अनियमित रोजगार के कारण।
- कच्चे माल (प्राकृतिक रेशम, ऊन, कपास) की बढ़ती लागत एवं आपूर्ति संबंधी कठिनाइयाँ।
- डिज़ाइन नवाचार एवं आधुनिक बाजार से जुड़ाव की कमी।
- बिचौलियों की भूमिका के कारण बुनकरों को उत्पाद के वास्तविक मूल्य का बहुत छोटा हिस्सा प्राप्त होना।
- जीआई टैग एवं बौद्धिक संपदा अधिकारों के प्रति जागरूकता की कमी, जिससे नकल एवं शोषण की संभावना बनी रहती है।

सरकारी एवं संस्थागत प्रयास

भारत सरकार ने वस्त्र मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) सहित कई योजनाएँ लागू की हैं, जिनका उद्देश्य बुनकरों को कच्चा माल, डिज़ाइन सहयोग, तकनीकी प्रशिक्षण एवं बाजार तक पहुँच उपलब्ध कराना है। भौगोलिक संकेतक अधिनियम, 1999 के अंतर्गत पारंपरिक वस्त्रों को कानूनी संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। इसके साथ ही 'इंडिया हैंडमेड' जैसे डिजिटल मंच कारीगरों को सीधे राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय बाजार से जोड़ने का कार्य कर रहे हैं, जिससे बिचौलियों की भूमिका कम हो और कारीगरों को उचित मूल्य मिल सके। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस (7 अगस्त) जैसे आयोजन भी जनजागरूकता बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं।

संरक्षण हेतु सुझाव

- गृह विज्ञान एवं वस्त्र विज्ञान के पाठ्यक्रमों में पारंपरिक हस्तकला तकनीकों को औपचारिक रूप से सम्मिलित किया जाए, ताकि नई पीढ़ी इनसे परिचित हो सके।
- डिज़ाइन संस्थानों एवं बुनकरों के बीच सहयोग बढ़ाकर पारंपरिक शिल्प को समकालीन फैशन से जोड़ा जाए।
- ई-कॉमर्स एवं सोशल मीडिया के माध्यम से कारीगरों को सीधे उपभोक्ता तक पहुँच उपलब्ध कराई जाए।
- जीआई टैग पंजीकरण एवं बौद्धिक संपदा संरक्षण की प्रक्रिया को सरल एवं सुलभ बनाया जाए।
- बुनकर सहकारी समितियों को सुदृढ़ कर उचित मूल्य निर्धारण एवं सामाजिक सुरक्षा (स्वास्थ्य बीमा, पेंशन) सुनिश्चित की जाए।

- ☞ उपभोक्ताओं में हस्तकला वस्त्रों के मूल्य एवं महत्व के प्रति जागरूकता हेतु अभियान चलाए जाएँ।

निष्कर्ष

भारत की पारंपरिक हस्तकला वस्त्र कलाएँ केवल आर्थिक गतिविधि नहीं, बल्कि राष्ट्र की सांस्कृतिक आत्मा का अभिन्न अंग हैं। इनका संरक्षण न केवल लाखों बुनकर परिवारों की आजीविका सुरक्षित करेगा, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य सांस्कृतिक धरोहर को भी जीवित रखेगा। इसके लिए सरकार, शिक्षण संस्थानों, डिज़ाइनरों, उद्यमियों एवं उपभोक्ताओं सभी को मिलकर समन्वित प्रयास करने होंगे, तभी यह प्राचीन कला आधुनिक युग में भी अपनी चमक बनाए रख सकेगी।

संदर्भ (References)

1. वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार — चतुर्थ अखिल भारतीय हथकरघा जनगणना रिपोर्ट।
2. डाउन टू अर्थ हिंदी (2026) — 'हथकरघा के पुनरुद्धार से पर्यावरण संरक्षण व स्थानीय अर्थव्यवस्था को मिलेगा बढ़ावा', hindi.downtoearth.org.in
3. डीडी न्यूज़ (2026) — 'राष्ट्रीय हथकरघा दिवस: भारत में करीब 35.22 लाख परिवार हथकरघा उद्योग में', ddnews.gov.in
4. पांचजन्य (2026) — 'वैश्विक पटल पर चमकती भारत की शिल्प विरासत', panchjanya.com
5. भारतीय भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री (GI Registry), वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार।
6. Anantam IAS (2026) — 'भारत के GI टैग: राज्य-वार पूर्ण सूची', anantamias.com
7. वस्तुओं का भौगोलिक उपदर्शन (रजिस्ट्रीकरण और संरक्षण) अधिनियम, 1999, भारत सरकार।

NEW ERA AGRICULTURE MAGAZINE